

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला राजसमन्द

प्रकरण संख्या 09/25 (दे. व. ए) शीर्षक ~~सौ. ए. न. सिंह~~ बनाम ~~रं. के.~~

दिनांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर / सूचना नं.
02/07/2025	<p><del>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी उपस्थित।</del>  <del>उत्तरण में तहसीलदार, देवगढ़ से विभाजन उत्तराव</del>  <del>अज्ञात। पुनः लिखा जावे। पत्रावली वाले उत्तर को</del>  <del>विभाजन उत्तराव दिनांक 15/07/2025 को पेश हो।</del></p>	
15/07/25	<p><del>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी उपस्थित।</del>  <del>उत्तरण में तहसीलदार, देवगढ़ से विभाजन उत्तराव</del>  <del>अज्ञात। पुनः लिखा जावे। पत्रावली वाले उत्तर</del>  <del>को विभाजन उत्तराव दिनांक 06/08/2025 को पेश हो।</del></p>	
06/08/2025	<p><del>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी उपस्थित।</del>  <del>उत्तरण में तहसीलदार, देवगढ़ से विभाजन उत्तराव अज्ञात</del>  <del>हुआ जो शगामिल पत्रावली है अधिवक्ता वादी के एक</del>  <del>उत्तराव-पत्र विज्ञो करने वाकल पेश किया जिसे शगामिल</del>  <del>पत्रावली किया गया। पत्रावली वाले आदेश उत्तराव-पत्र</del>  <del>दिनांक 08/09/2025 को पेश हो।</del></p>	
08/09/2025	<p><del>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी उपस्थित। उत्तरण</del>  <del>में अधिवक्ता वादी द्वारा वादपत्र को ड्रॉप फरमाये जाने</del>  <del>वाकल निवेदन किया। मामले में अधिवक्ता वादी</del>  <del>द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करने से उत्तरण में अब कोई</del>  <del>कार्यवाही शेष नहीं रहती है। अतः वादी का वाद इसी</del>  <del>रूप पर खिन्नो किया जाता है। पत्रावली केसल शुकाए, 01</del>  <del>नम्बर से कम की जावे।</del></p> <p>सहायक कलेक्टर देवगढ़, जिला राजसमन्द</p>	